राजस्व वाद संख्या 2/2024
GCMS NO. 2024/137
चावली बनाम गोपीचन्द वगै0
आदेश दिनांक 26.08.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनूं (राज0)
पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 2/2024
(GCMS NO. 2024/137)

श्रीमती चावली उर्फ चन्द्रावली पुत्री दुर्गा उर्फ डूंगर पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी बाडेट हाल निवासी कुल्हरियों की ढ़ाणी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
अपीलान्ट

बनाम

1. गोपीचन्द पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बाडेट मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
2. रणवीर सिंह पुत्र शिशपाल जाति जाट निवासी बाडेट मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
3. श्रवण पत्नी शिशपाल जाति जाट निवासी बाडेट मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
4. दाखा पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी बाडेट मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।
5. सुमित्रा पुत्री शिशपाल जाति जाट निवासी बाडेट मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेन्ट्स

वकील अपीलान्टस – श्री रामावतार
वकील रेस्पोडेन्टस –

प्रथम अपील अ0धा0 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखिलाफ आदेश ग्राम पंचायत बाडेट नामान्तरकरण संख्या 83 ग्राम पंचायत बाडेट दिनांकित 09.09.2009

निर्णय

दिनांक 26.08.2025

संक्षेप मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम बाडेट में एक डुंगरराम उर्फ दुर्गा नामक व्यक्ति पैदा हुआ। डुंगर की पत्नी का नाम चुन्नी था। अपीलान्ट उक्त डुंगर की पुत्री है। डुंगर के कोई पुत्र संतान नहीं हुई। इसलिये डुंगर ने शिशपाल जाइन्दा पुत्र हरजीराम को गोद लिया गौर गोदनामा दिनांक 22.09.1982 को निष्पादित व पंजीबद्व करवाया। इस प्रकार डुंगर उर्फ दुर्गा के वारिसउसकी पत्नी श्रीमती चुन्नी देवी व अपीलान्ट तथा शिशपाल हुये।डुंगर उर्फ दुर्गा व उसकी पत्नी का देहान्त हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 प्रभाव में आने के बाद हुआ। डुंगर के देहान्त होने पर उसके कब्जे काश्त खातेदारी की जमीन गत ख0न0 108/4 हाल ख. नं. 539 सरहद मौजा बाडेट व गत ख. नं. 22, 24, 97 व 121 हाल ख. नं. 89, 90, 92, 93, 297, 298, 560, 561 व 564 सरहद मौजा बाडेट विरासत के आधार पर उसकी पत्नी चुन्नी के नाम दर्ज हुई। चुन्नी के देहान्त होने पर उक्त भूमि विरासत के आधार पर दत्तक पुत्र शिशपाल व पुत्री अपीलान्ट के हक में बहिस्सा बराबर जरिये नामान्तकरण संख्या 296 ग्राम बाडेट आदेश दिनांक 09/04/2003 के द्वारा दर्ज हुई। इसके बाद नामान्तकरण संख्या 83 ग्राम पंचायत बाडेट ने चुन्नी बेवा डुंगरराम को फौत बताकर दिनांक 09/09/2009 को शिशपाल के हक में नामान्तकरण स्वीकृत किया। शिशपाल का देहान्त दिनांक 23/01/2023 को हुआ। रेस्पोडेन्ट्स शिशपाल के वारिस पुत्रगण, पत्नी व पुत्रीयां होने से है। नामान्तकरण संख्या 83 ग्राम बाडेट जो चुन्नी देवी के फौत होने पर विरासत के आधार पर शिशपाल के नाम

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

स्वीकृत किया गया है। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर बहस बाबत नामान्तकरण संख्या 83 ग्राम बाडेट खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है। अदालत मातहत ने धारा 133, 135 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान लैण्ड रिकार्ड रूल्स 1957 के नियम 121 की पालना किये बिना ही उक्त नामान्तकरण स्वीकृत कर तथ्य व विधि की भूल की है। अपीलान्ट डुगरराम उर्फ दुर्गा की जाईन्दा पुत्री है। डुंगरराम के मरने के बाद उसकी पत्नी चुन्नी देवी के नाम राजस्व रिकार्ड बना। चुन्नी के फौत होने पर नामान्तकरण संख्या 296 माह अप्रेल 2003 में विरासत के आधार पर अपीलान्ट व शिशपाल के नाम स्वीकृत हुआ और उसके बाद सन् 2009 मे पुनः चुन्नी देवी को फौत बताकर उपरोक्त नामान्तकरण शिशपाल के हक में स्वीकृत कर दिया गया। कानुन से नामान्तकरण संख्या 296 जो सन् 2003 में स्वीकृत किया था उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में प्रविष्टि करनी चाहिये थी बल्कि अदालत मातहत ने गलत रिकार्ड के आधार पर बिना वारिसान की जांच किये नामान्तकरण जैर बहस स्वीकृत कर दिया जो खारिज होने योग्य है। राजस्व रिकार्ड को देखने से ऐसा प्रकट होता है कि नामान्तकरण संख्या 296 ग्राम बाडेट दिनांक 09/04/2003 की पालना राजस्व रिकार्ड में नहीं हुई और दौराने भू प्रबन्ध बने गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर पुनः उक्त विरासत नामान्तकरण स्वीकृत कर दिया जो कि खारिज होने योग्य है।

अपील प्रस्तुत करने की मियाद कानुन में 30 दिन तय है। नामान्तकरण जैर बहस व राजस्व रिकार्ड की अपीलान्ट को पहले कभी जानकारी नहीं हुई। अपीलान्ट अशिक्षित ग्रामीण महिला है। दिनांक 26/05/2024 को अपीलान्ट को शिशपाल के वारिसान ने गांव में यह धमकी दी कि वे अपीलान्ट को अब जमीन काश्त नहीं करने देगें और राजस्व रिकार्ड के बाबत बताया। जिस पर अपीलान्ट ने राजस्व रिकार्ड की नकल ली तब अपीलान्ट को नामान्तकरण जैर बहस की जानकारी हुई जिसकी नकल तैयार होकर दिनांक 03/06/2024 को मिली। बरोज जानकारी अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। नामान्तकरण जैर बहस अवैध व शुन्य है। अवैध व शुन्य आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अपीलान्ट को अपील में मैरिट है। अपीलान्ट का जमीन पर कब्जा काश्त है। ऐसी सुरत में अपीलान्ट के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाना उचित व आवश्यक है। इस प्रकार अपील अपीलान्ट जानकारी के रोज से अन्दर मियाद पेश है। किसी कारणवश अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद नहीं माना जावे उस सुरत में अपील पेश करने में हुई देरी को माफ किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद समाहत किये जाने का आदेश दिया जावें। आदेश जैर बहस से अपीलान्ट प्रभावित है। आदेश जैर बहस अपीलान्ट के हितों के विपरित है। अपीलान्ट स्व. चुन्नी देवीं व डुंगरराम की जाईन्दा पुत्री होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत स्व. डुंगरराम व स्व. चुन्नी देवी की वारिस है। इस प्रकार अपीलान्ट को आदेश जैर बहस को चुनौती देने का हक है। अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. का अलग से प्रस्तुत है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजुर फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 83 ग्राम बाडेट आदेश दिनांक 09/09/2009 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि नामान्तकरण संख्या 296 ग्राम बाडेट दिनांक 09/04/2003 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर अपील में ग्राम पंचायत बाडेट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 83 के संबंध में पारित निर्णय दिनांक 09.09.2009 के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 बाद तामिल अनुपस्थित। रेस्पोडेन्टस की तामिली विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहतएकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

जवाबदेही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों का दोहराया तथा कथन किया कि जमीन जैर बहस पैतृक सम्पती है। अपीलान्ट स्व. चुन्नी देवीं व डुंगरराम की जाईन्दा पुत्री होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत स्व. डुंगरराम व स्व. चुन्नी देवी की वारिस है। इस प्रकार अपीलान्ट को आदेश जैर बहस को चुनौती देने का हक है। अपील प्रस्तुत करने की इजाजत हेतु प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी. का अलग से प्रस्तुत है। बरोज जानकारी अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद पेश है। इसलिये अपील अपीलान्ट मंजुर फरमाई जाकर नामान्तकरण संख्या 83 ग्राम बाडेट आदेश दिनांक 09/09/2009 को अपास्त किया जावे तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जावे कि नामान्तकरण संख्या 296 ग्राम बाडेट दिनांक 09/04/2003 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता की बहस पर गौर किया। जमीन जैर बहस अपीलान्ट की पैतृक भूमि है। अपीलान्ट चुन्नी देवीं व डुंगरराम की जाईन्दा पुत्री होने से हिन्दु उतराधिकार अधिनियम 1956 के तहत स्व. डुंगरराम व स्व. चुन्नी देवी की वारिस भी है। अपीलान्ट चुन्नी देवी व डुंगरराम की वारिस होने से चुन्नी देवी व डुंगरराम के देहान्त होने के बाद नामान्तरकरण संख्या 296 दिनांक 09.04.2003 ग्राम पंचायत बाडेट द्वारा स्वीकृत हो चुका है परन्तु उक्त नामान्तरकरण का राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने से राजस्व रिकार्ड पूर्व की भांति चुन्नी देवी पत्नी डुंगरराम के नाम चलता रहा। चूंकि नामान्तरकरण संख्या 296 दिनांक 09.04.2003 खारिज नहीं हुआ है केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में अकंन नहीं हुआ है इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 296 को अनदेखा कर नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 09.09.2009 स्वीकृत करना एक विधिक त्रुटि है जिसमें भी चुन्नी देवी व डुंगरराम के सभी वारिसान की जांच नहीं कर एक वारिस के नाम ही नामान्तरकरण स्वीकृत करना अपीलान्ट के हक अधिकारों के विपरीत है। चूंकि अपील अपीलान्ट बरोज जानकारी होने पर अन्दर मियाद है इसलिये अपील अन्दर मियाद मानते हुये इजाजत प्रार्थना पत्र दफा 96 जा.दी स्वीकार किया जाता है। समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है ग्राम पंचायत बाडेट का नामान्तरकरण संख्या 83 दिनांक 09.09.2009 विधि विरूद्व होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मलसीसर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार मलसीसर नामान्तरकरण संख्या 296 दिनांक 09.04.2003 के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अंकन करें। अपील अपीलान्ट फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/8/25

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर